भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4844
01 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

एफएएचडी क्षेत्र को बढ़ावा देना

4844. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी (एफएएचडी) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश के खीरी में मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) और (ख): मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी सहित देश में निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है:

i. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई): पीएमएमएसवाई भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसमें 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करना, रोजगार सृजित करना और आर्थिक विकास हासिल करना है। उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, समग्र मात्स्यिकी विकास के लिए 2020-21 से 2023-24 तक लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश को 801.493 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है।
ii. फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट फंड (एफआईडीएफ): फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा 2018 में एफआईडीएफ की शुरुआत की गई थी। 7,522.48 करोड़ रुपए के फंड के साथ, यह समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी दोनों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है।
iii. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी): केसीसी योजना किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत, ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे यह कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अधिक सहायक हो गया है।
iv. प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएमएमकेएसएसवाई): पीएमएमकेएसएसवाई का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को व्यवस्थित रूप देना है और मछुआरों तथा जल कृषि व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, यह वित्त तक पहुँच में सुधार, मछुआरों के लिए डिजिटल पहचान बनाने और फिशरीज़ वैल्यू चैन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
v. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम): भारत सरकार दिसंबर, 2014 से स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन पॉप्युलेशन के आनुवंशिक उन्नयन और दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए आरजीएम को लागू कर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के खीरी सहित सभी राज्यों और जिलों में किसानों के लिए दूध उत्पादन अधिक लाभकारी हो सके। हाल ही में, कैबिनेट ने 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ संशोधित आरजीएम को मंजूरी दी है, जिससे 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान कुल परिव्यय 2400 करोड़ रुपए से बढ़कर 3400 करोड़ रुपए हो गया है।

vi. डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ) को सहायता: 2017-18 में शुरू की गई एसडीसीएफपीओ योजना कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करके डेयरी सहकारी समितियों और एफपीओ को सहायता प्रदान करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान डेयरी क्षेत्र की सहायता के लिए इस योजना को संशोधित किया गया था। 2020-21 में लखनऊ और वाराणसी दुग्ध संघों के लिए 21.65 लाख रुपए जारी किए गए। हालांकि, उसके बाद के वर्ष में उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

vii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी): 2014 में शुरू किया गया एनपीडीडी पूरे भारत में डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसे 2021 में दो घटकों के साथ पुनर्गठित किया गया: घटक क, जो दूध परीक्षण उपकरण और प्रशीतन सुविधाओं में सुधार पर केंद्रित है, और घटक ख, जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से दूध की बिक्री, डेयरी प्रसंस्करण और मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में, 9123.78 लाख रुपए के कुल परिव्यय के साथ 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से अब तक 848.91 लाख रुपए का उपयोग किया जा चुका है। प्रमुख उपलब्धियों में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना, दूध की खरीद और किसानों की हाइजीन प्रैक्टिसीस में प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

viii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि/डेयरी प्रोसेसिंग एंड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फंड (डीआईडीएफ): आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में, डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना में सुधार के लिए 11,184 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डीआईडीएफ की शुरुआत की गई थी। इसने पात्र संस्थाओं को 2.5% तक की ब्याज सहायता प्रदान की। 2024 में, डीआईडीएफ को पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) में शामिल कर लिया गया। उत्तर प्रदेश ने डीआईडीएफ के अंतर्गत कोई परियोजना प्रस्तुत नहीं की।

ix. राष्ट्रीय पशुधन मिशन / नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (एनएलएम): पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2014-15 से उत्तर प्रदेश के खीरी सहित पूरे देश में 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)' नामक योजना लागू कर रहा है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुनर्गठित किया गया है और इसका उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार व्यापक विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन को बढ़ाना है। इस योजना को 21 फरवरी, 2024 को और संशोधित किया गया, जिसमें बंजर भूमि/रेंज भूमि/क्षयग्रस्त वन भूमि से चारा उत्पादन के साथ-साथ ऊँट, घोड़े और गधे की नस्ल-उन्नयन को शामिल किया गया।

x. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी): विभाग का उद्देश्य पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के माध्यम से पशुओं के रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं का क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करना है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में हाल के वर्षों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई नीतियों और योजनाओं/कार्यक्रमों में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने को अत्यधिक महत्व दिया गया है।

***